The Jharkhand Raksha Shakti University Act, 2016

Act No. 22 of 2016

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 815 राँची, शुक्रवार, 13 कार्तिक, 1938 (श०) / 4 नवम्बर, 2016 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2016

संख्या-एल०जी०-14/2016-161/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम-2016

(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 22, 2016)

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2. परिभाषाएँ
3. विश्वविद्यालय की स्थापना और समावेशन
4. विश्वविद्यालय का मुख्यालय
5. विश्वविद्यालय के उदेश्य
6. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग अथवा मतवाद से परे सबके लिए खुला होगा
7. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ तथा कार्य

8. कुलाधिपति
9. कुलपति
10. प्रति कुलपति
11. वित्त परामर्शी
12. निदेशक, शोध एवं विकास
13. कुलसचिव
14. विश्वविद्यालय के प्राधिकार
15. विश्वविद्यालय के अधिकारी
16. शासी परिषद्
17. परिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ
18. परिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ
19. अकादमिक परिषद्
20. अकादमिक परिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ
21. वित्त समिति
22. वित्त समिति के कार्य एवं शक्तियाँ
23. निदेशक
24. संकायाध्यक्ष
25. राज्य सरकार के द्वारा भुगतान
26. विश्वविद्यालय का कोष
27. लेखा एवं अंकेक्षण
28. पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधि
29. रिक्तियाँ के द्वारा अधिनियम और कार्यवाही का अमान्य नहीं होना
30. विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्रों का प्रदत्तीकरण
31. प्रतिवेदन एवं सूचना
32. अधिकारियों और कर्मचारी लोक सेवक होंगे
33. विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्तियों की सेवा की समाप्ति, पदच्युतिकरण, अवनति या बर्खास्तगी
34. राज्य सरकार की निर्देश देने संबंधी शक्तियाँ
35. विनियम बनाने की शक्ति
36. प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति
37. अस्थायी प्रावधान
38. क्षतिपूर्ति
39. कठिनाईयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति

झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम-2016

प्रस्तावना

यह विचारणीय है कि समाज में शांति और समरसता बनाये रखने तथा कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस और प्रशासन की भूमिका महत्ववपूर्ण है ।

समय के अनुरूप आवश्यकता है कि-(i) राज्य के पुलिस, केन्द्रीय पुलिस एवं सेना तथा निजी सुरक्षा संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम, प्रशिक्षित और पेशेवर मानवबल तैयार करने, (ii) राज्य के पुलिस, केन्द्रीय पुलिस एवं सेना तथा निजी सुरक्षा संगठनों में अपने कैरियर के निर्माण हेतु राज्य के युवाओं के लिए अवसर, (iii) विभिन्न किस्म के अपराधों यथा- आतंकवाद, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, दूरसंचार अपराध एवं ऐसे अपराध जिनमें न्यायिक विज्ञान में विशेषज्ञता की जरूरत है, के क्षेत्र में उत्पन्न हो रही चुनौतियों से निबटने के लिए मानवबल का प्रशिक्षण एवं तैयारी ।

अतएव, झारखण्ड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि झारखण्ड राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना और समावेशन हो जिसे 'झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय' के रूप में जाना जाय ।

एतदद्वारा भारतीय गणराज्य के सड़सठ्वें वर्ष में झारखंड बिधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है ।

अध्याय- I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः

(1) यह अधिनियम ''झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम-2016'' कहा जाएगा ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएँ:

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ को अन्यथा जरूरी न हो:-

(i) 'अकादमिक परिषद' का अर्थ है धारा 19 के तहत गठित विश्वविद्यालय का अकादमिक परिषद;

(ii) 'शासी परिषद्' का अर्थ है धारा 16 के अंतर्गत गठित विश्वविद्यालय का शासी परिषद;

(iii) 'संकायाध्यक्ष' का अर्थ है धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष;

(iv) 'निदेशक शोध एवं विकास' का अर्थ है धारा 12 के तहत नियुक्त विश्वविद्यालय के निदेशक शोध एवं विकास;

(v) 'निदेशक' का अर्थ है धारा 23 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के संस्थानों के निदेशकगण;

(vi) 'वित्त समिति' का आशय है धारा 21 के तहत गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति;

(vii) 'वित्त परामर्शी' का अर्थ है धारा 11 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के वित्त परामर्शी;

(viii) 'विहित' का अर्थ है विनियम द्वारा विहित;

(ix) 'प्रति कुलपति' का अर्थ है धारा 10 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति;

(x) 'कुलसचिव' का अर्थ है धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव;

(xi) 'विनियम' का अर्थ है धारा 35 के अधीन निर्मित विश्वविद्यालय के विनियम;

(xii) 'विश्वविद्यालय' का आशय है धारा 3 के तहत स्थापित और समावेशित झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय;

(xiii) 'कुलपति' का अर्थ है धारा 9 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति ।

अध्याय- II

<u>विश्वविद्यालय</u>

3. विश्वविद्यालय की स्थापना और समावेशनः

(1) 'झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय' के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ।

(2) कुलपति, प्रति-कुलपति, वित्तीय सलाहकार, शासी परिषद्, अकादमिक परिषद्, निदेशक, निदेशक अनुसंधान और विकास, संकायाध्यक्ष, कुलसचिव एवं अन्य अधिकारी एतद् द्वारा 'झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय' के नाम से निकाय का गठन करेंगे, जब तक कि वे इस पद पर हैं अथवा उनकी सदस्यता बनी रहेगी ।

(3) विश्वविद्यालय एक ऐसा निकाय होगा जो सतत् पद-प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा के तहत संचालित होगा । इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे संपत्ति के अधिग्रहण और उस पर स्वामित्व रखने, उसे संविदा पर देने और जिसे दिये गये नाम पर वाद चलाने का अधिकार होगा, या जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा ।

4. विश्वविद्यालय का मुख्यालयः

विश्वविद्यालय का मुख्यालय उस स्थान पर हो सकेगा, जिसका उल्लेख राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्यः

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, यथा:-

(i) सुरक्षा बलों की संपूर्ण कार्यशैली में उत्कृष्टता लाने हेतु सुरक्षा विज्ञान और प्रबंधन में एक संस्थान का विकास करना;

(ii) आंतरिक सुरक्षा के सभी मामलों में शोध/अनुसंधान को आगे बढ़ाना;

(iii) व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के संदर्भ में विधि प्रवर्तक अभिकरणों के द्वारा ज्ञान और कौशल के लाभ का विस्तार करना;

(iv) शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना ताकि शैक्षिक उत्कृष्टता के साथ विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जा सके;

(v) प्रशिक्षण में नवाचार के द्वारा सुरक्षा बलों के लिए शिक्षण-प्रणाली का विकास और संचालन;

(vi) विचारों व मूल्यों के संवर्द्धन और विकास तथा भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा को सुरक्षित करने की दृष्टि से पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों की कार्य-प्रणाली का उन्नयन;

(vii) विधि के शासन के लिए सम्मान और न्यायसंगत प्रशासन के प्रति विश्वास का विकास करना;

(viii) सतत् शिक्षा और अभ्यास के द्वारा जीविकोन्मुख पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करना;

(ix) सुरक्षा बलों के साथ जनसामान्य के बेहतर परस्पर संवाद के लिए शोधकार्य और कार्यक्रमों के आयोजनों का कार्यान्वयन;

(x) राज्य के युवाओं को प्रभावी और सक्षम सुरक्षा कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार करना तथा उक्त उद्देश्य से पाठयक्रमों का संचालन एवं डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्रदान करना;

(xi) ऐसे अन्य उद्देश्य, जिनका इस अधिनियम के प्रावधानों में सामंजस्य नहीं हुआ है, का विश्वविद्यालय के आवेदन पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार की ओर से निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

6. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, पंथ अथवा मतवाद से परे सबके लिए खुला होगाः

(1) किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय अथवा उसके किसी प्राधिकार की सदस्यता से, निकाय अथवा समिति से बाहर नहीं किया जा सकता अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य अथवा पाठ्यक्रम में नामांकन से लिंग, वंश, पंथ, जाति, वर्ग, जन्म के स्थान, धार्मिक विश्वास या राजनीतिक या अन्य मतवाद के आधार पर भेदभाव कर वंचित नहीं किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय के लिए यह वैध नहीं होगा कि किसी व्यक्ति पर अपनी जाँच प्रक्रिया, लिंग, वंश, पंथ, जाति, वर्ग, जन्म के स्थान, धार्मिक विश्वास या राजनीतिक वृत्ति या अन्य मतवाद के आधार पर करके, उसे शिक्षक या विद्यार्थी के रूप में दाखिला दे अथवा विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या पद को धारण कराये अथवा किसी भी डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा अथवा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य प्रदान करे अथवा विश्वविद्यालय के किसी विशेषाधिकार का उपयोग प्रदान करे अथवा उसके उपकार का अधिकारी बनाए ।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ तथा कार्यः

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्यों को निष्पादित करेगा, यथा-

(1) विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन, तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक शोध, शिक्षण और अनुदेशन के संस्थानों व केन्द्रों की स्थापना ।

(2) पुलिस सेवा और पुलिस विज्ञान एवं सैन्य विज्ञापन की शाखाओं और अधिगम के अनुकूल अनुदेश प्रशिक्षण तथा शोध उपलब्ध कराना ।

(3) इलेक्ट्रोनिक तथा दूरस्थ शिक्षण तंत्र एवं वितरण प्रणालियों में लचीलापन उपलब्ध कराते हुए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का निर्धारण ।

(4) परीक्षाओं का आयोजन तथा किसी व्यक्ति के नाम विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों के साथ उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करना अथवा विनियमों में वर्णित तरीके से उस उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता या नाम को वापस ले लेना ।

(5) वर्णित तरीके के अनुरूप मानद उपाधि या अन्य विशिष्टता प्रदान कर पाना ।

(6) विश्वविद्यालय के मतानुसार इसके उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए विशेष केन्द्रों, विशेष अध्ययन केन्द्रों अथवा अनुसंधान एवं विकास हेतु अन्य विशिष्ट केन्द्रों की स्थापना ।

(7) शोध, शिक्षण सामग्री एवं अन्य कार्यों के लिए मुद्रण, प्रकाशन तथा पुनरूत्पादन हेतु प्रबंधन और प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन ।

(8) पुलिस को वस्तुगत दृष्टि से परिणामोन्मुख बनाने के लिए व्यावहारिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं समवर्गी क्षेत्रों में अन्वेषण, संसूचन (खोज) एवं अपराध रोकने तथा अपराध से पीड़ितों के पुनर्वास से संबंद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान से जुड़े सभी कृत्यों का प्रायोजन एवं दायित्व वहन करना ।

(9) समान अथवा समरूप उद्देश्यों के लिए किसी शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग एवं संबद्धता ।

(10) दुनिया के किसी भी हिस्से के शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों के साथ संबंध बनाने और सहयोग स्थापित करने के लिए पूर्णतया अथवा अंशतया शिक्षकों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों का सामान्य तरीके से आदान-प्रदान, जो समान उद्देश्यों के लिए प्रेरक हो ।

(11) अपराधों के अन्वेषण एवं संसूचन और अपराधिक न्याय तंत्र के कारणों के अनुसंधान के क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा शिक्षकों और शोधार्थियों के बीच संबंध रखना और उसे आगे बढ़ाना ।

(12) विश्वविद्यालय के व्यय का नियमन और वित्त का प्रबंधन तथा लेखा का रख -रखाव ।

(13) जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से विश्वविद्यालय बना है, उसके लिए अनुदान, चंदा, दान और उपहार प्राप्त करने तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य प्राधिकारों या निकायों के साथ अनुदान प्राप्ति के समझौते में सम्मिलित होना ।

(14) विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्रप्ति के लिए हस्तांतरण द्वारा चल एवं अचल सम्पत्ति, उपहार, दान, उपकार अथवा वसीयत के रूप में उद्योग अथवा अन्य स्रोतों से निधि प्राप्त करना ।

(15) सभागार का निर्माण, रखरखाव तथा प्रबंधन एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास के लिए छात्रावास तथा संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास तथा अतिथि गृह का निर्माण ।

(16) विश्वविद्यालय के निवासी विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखने और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, संवर्द्धन हेतु पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा नियमन ।

(17) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, पुरस्कार, मेडल तथा अन्य इनाम गठित करना ।

(18) निर्धारित तरीके से फीस एवं अन्य शुल्क तय करना, मांगना तथा प्राप्त करना ।

(19) विश्वविद्यालय आवश्यकता अथवा प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से भूमि या भवन को खरीदने या पट्टे पर लेने का कार्य कर सकेगा और यह उन नियमों और शर्तों के रूप में मान्य

हो सकता है जिससे किसी भवन को बनाने या कार्य करने, उसमें परिवर्तन करने तथा रखरखाव हेतु उचित हो ।

(20) विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों एवं उद्देश्यों की संगति की दृष्टि से जो मान्य हो, के अनुरूप विश्वविद्यालय की चल एवं अचल संपत्ति या उसके किसी हिस्से को बेचने, विनिमय, पट्टा या अन्य तरीके से राज्य सरकार की पूर्वानुमति से प्रबंधित करना ।

(21) सरकारी वचन पत्र एवं अन्य वचन पत्र, विनियम विपत्र, धनादेश (चेक) तथा अन्य विनिमेय उपकरणों को वापस लेना और स्वीकारना, बनाना और अनुमोदन करना, छूट प्राप्त करना और समझौता वार्ता करना ।

(22) विश्वविद्यालय की निधि से विश्वविद्यालयों के सभी खर्चों को पूरा करने हेतु अग्रधन मान्य नियमों एवं शर्त्तों के अनुरूप या बिना प्रतिभूति के विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के विरूद्ध बोर्ड, प्रबंधन, वचन पत्र पर धन एकत्र करना या उधार लेना और लिये गये धन को राज्य सरकार की पूर्वानुमति से वापस करना ।

(23) विश्वविद्यालय के हित की दृष्टि से समय-समय पर मान्य तरीकों के अनुरूप विश्वविद्यालय के कोष का ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश और किसी निवेश को पक्षांतरित करना ।

(24) राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल संपत्ति के लिए हस्तांतरण पत्रों से संबध्द्ध अंतरण, बंधक पत्रों, पट्टा अनुसार अनुबंध और संपत्ति के संदर्भ में अन्य हस्तांतरण, सरकारी प्रतिभूतियों समेत, को कार्यान्वित करना ।

(25) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यकर्मों में निधारित तरीके से विद्यार्थियों का नामांकन।

(26) अकादमिक, तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय एवं अन्य पदों पर नियुक्ति करना ।

(27) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच अनुशासन का नियमन एवं लागू करना तथा निर्धारित तरीके से अनुशासनिक कार्यवाही करना ।

(28) प्राध्यापकी, सह-प्राध्यापकी, सहायक प्रध्यापकी, सम्पन्न प्रध्यापकी, मानद प्रध्यापकी, अनुबद्ध प्रध्यापकी, एमेरिटस प्राध्यापिकी, एवं अन्य कोई शिक्षण, अकादमिक अथवा शोध- पदों के लिए योग्यता का निर्धारण और इनकी स्थापना के लिए राज्य सरकार को अनुरोध करना ।

(29) विश्वविद्यालय के निदेशकों, अनुसंधान और विकास निदेशक, प्राध्यापकों, सह- प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों, अनुबद्ध प्राध्यापकों, कुलसचिव अथवा अन्य प्रकार के शिक्षकों और अन्वेषकों की नियुक्ति ।

(30) इस अधिनियम के प्रावधानों एवं विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी अथवा प्राधिकार, आदेश द्वारा अपने अधिकार (विनियमों के निर्माण को छोड़कर), अपने नियंत्रण के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकार को सौंप सकता है, बशर्ते कि अन्ततोगत्वा शक्तियों के प्रयोग का दायित्व उस अधिकारी को अथवा प्राधिकार को होगा, जिसके द्वारा अधिकार सौंपा गया है ।

(31) किसी उद्देश्य की प्राप्ति या परिवर्धन में सहायक या आनुषंगिक मामलों या सारे मामले पर, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, पर कार्यवाही करना ।

8. कुलाधिपतिः

(1) झारखण्ड के राज्यपाल अपने कार्यालय के पदेन अधिकार से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। ये विश्वविद्यालय के प्रधान और शासी परिषद् के अध्यक्ष होंगे और जब मौजूद रहेंगे तो शासी परिषद् के बैठकों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(2) कुलाधिपति को यह अधिकार होगा कि वे विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित किसी संस्थान या केन्द्र के भवनों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, शिक्षण, शोध एवं किये जानेवाले अन्य कार्यों तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, अकादमिक एवं वित्त से संबंधित किसी मामले की जाँच के लिए और इनके निरीक्षण या पुनरीक्षण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्देशित कर सकेंगे ।

बशर्ते कि कुलाधिपति प्रत्येक मामले में कुलपति को निरीक्षण अथवा जाँच के अभिप्राय की सूचना देंगे अथवा निरीक्षण या जाँच कराने के क्रम में विश्वविद्यालय उसमें प्रतिनिधित्व का अधिकारी होगा ।

(3) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण और जाँच के नतीजों को कुलपति को प्रेषित कर सकते हैं और कुलपति उनके मंतव्य से शासी परिषद् और अकादमिक परिषद् को अवगत करायेंगे ।

(4) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की कार्यवाही या आदेश को अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों के अनुरूप नहीं होने अथवा यथेष्ट कारण के अभाव में लिखित आदेश द्वारा रद्द कर सकते हैं ।

बशर्ते कि ऐसा आदेश या निर्देश देने के पूर्व इसके विषय में विश्वविद्यालय को निर्दिष्ट समय में यह कारण बताने को कहा जाएगा कि क्यों ऐसा आदेश या निर्देश नहीं दिया जाय। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वे उस पर विचार करेंगे ।

(5) कोई मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की संपुष्टि के अधीन होगा ।

(6) (i) विश्वविद्यालय के किन्हीं प्रशासनिक अथवा अकादमिक हितों के संदर्भ में आवश्यक समझे जाने पर कुलाधिपति के पास विश्वविद्यालय को निर्देश जारी करने की शक्ति होगी । कुलाधिपति द्वारा जारी निर्देश का कार्यान्वयन विश्वविद्यालय के कुलपति, शासी परिषद् एवं अन्य निकायों द्वारा किया जाएगा ।

(ii) कुलाधिपति के ऐसे आदेश से कोई व्यक्ति यदि खिन्न हो तो वह कुलाधिपति के समक्ष आवेदन पेश कर सकता है, वे आवेदन पर विचार करेंगे और उन्हें यह शक्ति होगी कि वे अपने पूर्व के आदेश या आदेशों की पुष्टि करें, उनमें किंचित परिवर्तन करें या निरस्त करें जैसा वे उपयुक्त और उचित समझें ।

9. कुलपति:

(1) (i) कुलपति के रूप में ऐसे व्यक्ति जो क्षमता, ईमानदारी, नैतिकता एवं सांस्थिक निष्ठा के उच्चतम स्तर को प्राप्त किए हुए हो, की नियुक्ति होगी । कुलपति के रूप में जिनकी नियुक्ति होनी है, को किसी राज्य/केन्द्रीय पुलिस संगठन/सेना/ अर्द्ध सैनिक बल में सेवा दिया हुआ होना चाहिए या वे राज्य या केन्द्रीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस बल या सैन्य या अर्ध सैनिक बल में शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में प्रमाणित कीर्तिमान के साथ प्रशिक्षण से जुड़े रहे हों ।

(ii) कुलपति का चयन एक खोज समिति के द्वारा लोक सूचना या नामकरण या प्रतिभा खोज प्रक्रिया के द्वारा होगी । प्रतिभा खोज समिति के सदस्य पुलिस /सैन्य प्रतिष्ठान शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए और उनका विश्वविद्यालय के साथ किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए । सूची तैयार करने के समय, खोज समिति को शैक्षिक उत्कृष्टता, देश या विदेश में प्रशिक्षण तंत्र का अनुभव तथा प्रशासनिक अभिशासन में पर्याप्त अनुभव को प्रमुखता देनी चाहिए । इसे लिखित रूप में कुलाधिपति के समक्ष पेश करते समय तीन से पाँच नाम वाले सूची के साथ दिया जाना अपेक्षित होगा ।

(iii) खोज समिति का गठन राज्य सरकार के द्वारा निम्न प्रकार से किया जायेगा-

(a) सरकार द्वारा नामित एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति, जिसे शैक्षणिक या प्रशासनिक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल हो और वही समिति का अध्यक्ष होगा ।

(b) निदेशक या राष्ट्रीय ख्याति के संगठन या संस्था का प्रमुख, जैसे -राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, भारतीय सैन्य अकादमी, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान विधि विश्वविद्यालय का कुलपति, जो सरकार के द्वारा नामित सदस्य होगा ।

(c) कुलाधिपति के द्वारा नामित एक सदस्य, जिसे अपने राज्य की उच्च शिक्षा का ज्ञान हो तथा जिसने प्रशिक्षण/शिक्षण के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की हो ।

(2) विश्वविद्यालय के कुलपति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त होंगे ।

(3) कुलपति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा, बशर्ते तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तीन वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे । शर्त यह रहेगी कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से कार्यकाल के दौरान या विस्तारित कार्यकाल से सेवानिवृत्त हो जायेंगे ।

(4) (क) कुलपति पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे तथा कुलाधिपति की इच्छा पर पद ग्रहण किए रहेंगे । बशर्ते कि राज्य सरकार की अनुशंसा पर कुलपति को कार्य से मुक्त किया जा सकेगा ।

(ख) इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अन्तर्गत कुलपति सामान्य तौर पर तीन वर्षों के लिए नियुक्त होंगे तथा इस समय की समाप्ति के बाद उन्हें कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से पुनः नियुक्त किया जा सकता है और वे कुलाधिपति की इच्छा से तीन वर्षों की अवधि से ज्यादा कार्य नहीं कर सकेंगे ।

(5) कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी तथा अकादमिक परिषद् तथा समिति के अध्यक्ष होंगे तथा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या दूसरे निकाय की बैठक में बोलने एवं उपस्थित रहने के लिए अधिकृत होंगे तथा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में शासी परिषद् की बैठक या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे ।

(6) कुलपति विश्वविद्यालय में निर्देश देने तथा अनुशासन के पालन के लिए जिम्मेवार होंगे ।

(7) कुलपति विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के निर्णयों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे ।

(8) इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, कुलपति को स्वीकृत श्रेणियों और वेतनमान में तृतीय श्रेणी के नियमित कर्मचारियों का चयन कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्वीकृत क्षमता के अनुसार विभिन्न पदों पर नियुक्त करने का अधिकार होगा तथा वे ऐसे कर्मचारियों पर पूर्ण अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(9) शैक्षिक संवर्ग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित अर्हता युक्त व्यक्ति प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के पद पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त किये जायेंगे । किन्तु कुलपति के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या संविदा पर मात्र एक बार 11 माह के लिए नियुक्ति की जा सकेगी ।

(10) कुलपति की दूसरी सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

(11) कुलपति कुलाधिपति को हस्तलिखित पत्र के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं तथा यह इस्तीफा कुलाधिपति के द्वारा स्वीकार करने की तिथि से प्रभावी होगा ।

(12) जब कोई मुद्दा अत्यावश्यक प्रकृति का हो जिसमें तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो और यह, दिए गए अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अधिकृत प्राधिकार या निकाय के द्वारा तुरंत हल नहीं किया जा सकता तो कुलपति कार्रवाई कर सकते हैं, जो उन्हें उचित लगे तथा इसकी सूचना उस प्राधिकार या निकाय को देंगे जो सामान्य स्थिति में ऐसे मुद्दे को देखता है । बशर्ते कि ऐसा प्राधिकार या निकाय अगर यह समझता है कि कुलपति द्वारा ऐसी कार्रवाई उचित नहीं है, तो वह इस बात को परिषद् को सूचित कर सकता है जो या तो कुलपति की कार्रवाई को उचित बताता है या इसे रद्द या संशोधित करता है जैसा यह सही समझता है और यह परिषद् के फैसले पर ही कार्रवाई होती है परन्तु यह फैसला कुलपति के पूर्व के आदेश के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा ।

(13) कुलपति ऐसी सभी दूसरी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का निष्पादन करेंगे जो अधिनियम के तहत् उन्हें दिया गया है या परिषद् या सरकार के द्वारा सौंपा गया है ।

10. प्रतिकुलपतिः

(1) कुलाधिपति प्रतिकुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से उसी तरह से करेंगे जैसे कुलपति की नियुक्ति होती है ।

(2) प्रतिकुलपति के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो क्षमता, ईमानदारी, नैतिकता एवं सांस्थिक निष्ठा के उच्चतम स्तर को प्राप्त किए हो एवं सरकार में सेवारत वरीय पुलिस पदाधिकारी के रूप में पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो ।

(3) प्रतिकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा । वह कुलाधिपति के द्वारा राज्य सरकार से सलाह के बाद निर्धारित शर्तों पर कार्य करेगा । वह कुलाधिपति की इच्छा से तीन वर्षों के लिए कार्य करेगा बशर्ते राज्य सरकार के परामर्श से उन्हें कार्य से मुक्त किया जा सकेगा ।

(4) प्रतिकुलपति के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ होंगी ।

i. विश्वविद्यालय का प्रधान समन्वयक पदाधिकारी होंगे, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों का सम्पादन करेंगे जो उन्हें कुलपति द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा दिया जाता है ।

ii. कुलपति की अनुपस्थिति या उनके अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थता की स्थिति में कुलपति के कार्यों का निष्पादन करेंगे ।

iii. कुलपति की अनुपस्थिति में शासी परिषद्, अकादमिक परिषद, वित्त समिति तथा ऐसे दूसरे प्राधिकारों की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

11. वित्त परामर्शी:

(1) वित्त परामर्शी एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा । वह कुलाधिपति के द्वारा भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से या भारत सरकार या झारखण्ड सरकार के लेखा सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति या पुनः नियुक्ति के आधार पर नियुक्त होगा ।

(2) वित्त परामर्शी की सेवा शर्तें कुलाधिपति के द्वारा राज्य सरकार से विचारोपरांत निर्धारित की जायेंगी तथा सामान्य तौर पर वे तीन वर्षों के लिए पद धारण करेंगे ।

(3) वित्त परामर्शी कुलपति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे ।

(4) वित्तीय महत्व के सभी प्रस्तावों पर वित्त परामर्शी का सलाह अति आवश्यक होगा ।

(5) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना, लेखाओं की देख-रेख, समय-समय पर लेखाओं का अंकेक्षण करना, अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन करना, स्वीकृत बजट के आधार पर राज्य सरकार या दूसरे स्रोतों से अनुदान की समय पर प्राप्ति, इन्हें सही तरह से रखने की व्यवस्था करना और प्राप्त अनुदानों का समय-समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करना वित्त परामर्शी की जिम्मेवारी होगी ।

(6) वित्त परामर्शी की यह जिम्मेवारी होगी कि विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय मामले कानून तथा नियम के अनुसार निपटाए जाएँ ।

12. निदेशक, शोध एवं विकासः

(1) निदेशक, शोध एवं विकास की नियुक्ति कुलपति द्वारा परिषद् की स्वीकृति के आधार पर की जाएगी ।

(2) वह प्रख्यात शोधार्थी होगा जिसके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं में विशिष्ट स्तरीय शोध पत्र प्रकाशित रहे होंगे ।

(3) निदेशक, शोध एवं विकास, की सेवा शर्तें तथा योग्यता वैसे ही होगें जो नियम में विहित हों ।

(4) वे कुलपति को संस्थान के अकादमिक, प्रशासनिक एवं दूसरे मुद्दों से संबंधित शोध एवं विकास के प्रबंधन में सहायता करेंगे ।

(5) वे कुलपति द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन तथा शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

13. कुलसचिवः

(1) कुलसचिव की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा विहित सेवा शर्तों के आधार पर की जाएगी । कुलसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता को धारण करेंगे ।

(2) कुलसचिव के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ होंगी:

i. वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों की निगरानी, सामान्य प्रमाणन, कोष तथा ऐसी दूसरी सम्पत्तियों के लिए जिम्मेवार होंगे ।

ii. वह विश्वविद्यालय के परिषद् तथा दूसरे प्राधिकारों के समक्ष वैसी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा जो इसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक होंगे ।

iii. विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय के विरूद्ध सभी मुकदमों एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में अभिवचनों को कुलसचिव हस्ताक्षरित और सत्यापित करेंगे तथा ऐसे सभी वादों एवं कानूनी प्रक्रियाओं की कार्यवाही कुलसचिव द्वारा ही जारी व वितरित की जायेगी ।

iv. वह अपने कार्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए कुलपति के प्रति जिम्मेवार होंगे ।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के प्राधिकार एवं अधिकारी

14. विश्वविद्यालय के प्राधिकार:

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे-

i. शासी परिषद्;

ii. अकादमिक परिषद्;

iii. वित्त समिति ;

iv. वैसे दूसरे प्राधिकार जो अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किए जाते हैं।

15. विश्वविद्यालय के अधिकारीः

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारी होंगे-

i. कुलाधिपति;

ii. कुलपति;

iii. प्रति कुलपति;

iv. वित्त परामर्शी;

v. निदेशक, शोध एवं विकास;

vi. निदेशक;

vii. संकायाध्यक्ष;

viii. कुलसचिव;

ix. विश्वविद्यालय की सेवा में वैसे अन्य व्यक्ति जिन्हें विनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित किया जा सकता है ।

16. शासी परिषद्:-

विश्वविद्यालय के शासी परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

i. कुलाधिपति, जो परिषद् के अध्यक्ष होंगे;

ii. कुलपति जो परिषद् के उपाध्यक्ष होंगे;

iii. प्रतिकुलपति;

iv. वित्त परामर्शी ;

v. निदेशक, शोध एवं विकास;

vi. विश्वविद्यालय का एक निदेशक जिसे क्रमानुसार कुलपति के द्वारा नामित किया गया हो;

vii. सैन्य बल के 23वीं डिवीजन के जेनरल-ऑफिसर-कमांडिंग (पदेन);

viii. एक पुलिस पदाधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रैंक से नीचे का न हो, सरकार के द्वारा नामित होगा, जो पदेन सदस्य होगा;

ix. प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा या उनके प्रतिनिधि जो विभागीय निदेशक के पद से नीचे का न हो;

x. प्रधान सचिव, गृह विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो विशेष सचिव के रैंक से कम का नहीं हो;

xi. राज्य सरकार के द्वारा नामित झारखण्ड में स्थित किसी विश्वविद्यालय के एक कुलपति;

xii. राज्य के द्वारा नामित वैसे पाँच व्यक्ति जो सुरक्षा, शिक्षा या लोक सेवा के क्षेत्र से जुडे हुए हों या विशिष्टता हासिल किए हुए हों;

xiii. राज्य सरकार झारखंड विधान सभा के चार विधायकों को नामित करेगी ।

xiv. कुलसचिव परिषद् के सचिव होंगे ।

17. परिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ:

1. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत् परिषद् सामान्य देख-रेख, निर्देश तथा विश्वविद्यालय के कार्यों के नियंत्रण के लिए जिम्मेवार होगा तथा विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारों या अन्य समितियों, अकादमिक परिषद् तथा वित्तीय समितियों के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति रखेगा ।

2. उपधारा (1) के प्रवधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना परिषद् के पास निम्नलिखित कार्य एवं शक्ति होंगे -

i. विश्वविद्यालय के कार्य और प्रशासन से संबंधित नीति के प्रश्नों पर निर्णय लेना;

ii. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना ;

iii. नियम बनाना;

iv. प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट को मंजूर करना तथा इस पर विचार करना;

v. विश्वविद्यालय के कोष/ पूँजी तथा धन का निवेश करना और वित्तीय समिति की अनुशंसाओं पर निर्णय लेना ;

vi. अध्ययन सामग्री, विवेचनात्मक लेखों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों तथा समय-समय पर दूसरे साहित्यों के प्रकाशन के लिए वित्तीय व्यवस्था करना तथा उचित समझने पर उनकी बिक्री की व्यवस्था करना या बेचना;

vii. विश्वविद्यालय के कर्मियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों के पद का सृजन या विलोपन के लिए अनुशंसा करना;

viii. इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्यों को पूरा करने या शक्तियों के प्रयोग के लिए यदि आवश्यक हो तो समितियों का गठन करना;

ix. विश्वविद्यालय के निदेशकों की नियुक्ति करना ;

x. अपनी शक्तियों को विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, निदेशक, संकायाध्यक्ष कुलसचिव या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या प्राधिकार या अपने द्वारा नियुक्त समिति को सौंपना;

xi. वैसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा कार्यों को करना जो अधिनियम या कानून के अंतर्गत इसे करने के लिए निर्देशित किया गया है और विश्वविद्यालय के उदेश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो ।

18. परिषद् के सदस्यों की रिक्ति एवं कार्यकाल की शर्तें:

(1) इस भाग में प्रदत्त अन्यथाओं को छोड़कर परिषद् के किसी नामित (मनोनीत) सदस्य का सेवा काल उनकी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष का होगा;

(2) एक पदेन सदस्य तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक वह अपने कार्यालय के पद पर बना रहता है, जिसकी वजह से वह परिषद् का सदस्य है;

(3) परिषद् के किसी सदस्य, पदेन सदस्य को छोड़कर, की रिक्ति, विहित अवधि की समाप्ति के पहले होने पर उसे धारा 16 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही भरा जाएगा एवं ऐसा सदस्य तब तक कार्य करेगा जितना समय उस सदस्य का शेष रहा था जिसकी जगह पर इसे नामित किया गया हो;

(4) सदस्य दूसरे सेवा काल के लिए पुनः नामित होने के योग्य होंगे;

(5) कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित पत्र के माध्यम से अपने कार्यालय से त्याग पत्र दे सकता है तथा उसका त्याग पत्र अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा ।

19. अकादमिक परिषद्:-

(1) विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे-

i. कुलपति, जो अकादमिक परिषद के अध्यक्ष होंगे;

ii. प्रति कुलपति ;

iii. राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत दो शिक्षाविद् या पेशेवर;

iv. राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत दो शिक्षाविद् या पेशेवर जो सैनिक, अर्द्धसैनिक बल या पुलिस के प्रशिक्षण या सेवा से जुड़े हों;

v. निदेशक, अनुसंधान एवं विकास;

vi. निदेशक;

vii. विश्वविद्यालय के प्रत्येक विषय के एक प्रोफेसर चक्रानुक्रम के आधार पर जो कुलपति के द्वारा नामित होंगे ।

(2) कुल सचिव अकादमिक परिषद् के सचिव होंगे ।

(3) उपधारा- (1) के खण्ड (iii) तथा (iv) के अन्तर्गत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा ।

20. अकादमिक परिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ:-

इस अधिनियम और कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का अकादमिक परिषद् निम्नलिखित कार्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करेगा-

i. विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों पर नियंत्रण रखना तथा विश्वविद्यालय में निर्देशन, शिक्षा एवं मूल्यांकन के स्तर को बरकरार रखना एवं विकास के लिए जिम्मेवार होना;

ii. सामान्य अकादमिक हित के लिए अपनी ओर से या विश्वविद्यालय या बोर्ड के संकाय सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दे पर विचार करना तथा उस पर उचित कार्रवाई करना;

iii. शासी परिषद् को ऐसे कानूनों के लिए अनुशंसा करना जो विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्यों एवं छात्रों में अनुशासन से जुड़ा हो तथा इस अधिनियम के अनुकूल हो;

iv. कानूनों के द्वारा दिए गए सारे कार्यों को करना एवं शक्तियों का प्रयोग करना ।

21. वित्त समितिः-

(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

i. कुलपति जो समिति के अध्यक्ष होंगे;

ii. प्रति कुलपति;

iii. वित्त परामर्शी;

iv. निदेशक, अनुसंधान एवं विकास;

v. शासी परिषद् के दो सदस्य (इनमें एक सरकार का नामित व्यक्ति तथा दूसरा बोर्ड के द्वारा नामित होगा);

vi. निदेशक;

vii. एक प्राचार्य, चक्रानुक्रम के आधार पर बोर्ड के द्वारा नामित होगा ।

(2) कुलसचिव समिति के सचिव होंगे ।

(3) नामित सदस्यों का कार्यकाल खण्ड (v) एवं (vi) के अन्तर्गत तीन वर्ष होगा ।

22. वित्त समिति के कार्य एवं शक्तियाँ:-

इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, वित्त समिति निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करेगी-

i. विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा बजट के आकलन की जाँच करना तथा शासी परिषद् को इस पर परामर्श देना;

ii. विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करना;

iii. विश्वविद्यालय की वित्तीय नीति के मुद्दे पर परिषद् को अनुशंसा करना;

iv. परिषद् को उन सभी प्रस्तावों पर अनुशंसा करना जो कोष प्राप्ति या खर्च से संबंधित हों;

v. अधिशेष पूँजी के निवेश के लिए दिशा-निर्देश देना;

vi. परिषद् को उन सभी प्रस्तावों पर अनुशंसा करना जो ऐसे खर्च से जुड़े हों जिनका प्रावधान बजट में नहीं था या बजट में प्रावधानित रकम से ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता हो ;

vii. वैसे प्रस्तावों की जाँच करना जो वेतनमान के पुनरीक्षण, उन्नयन या वैसे मुद्दे जो बजट में इसे परिषद् के समक्ष रखने से पहले सम्मिलित न हों ;

viii. विधि द्वारा लाए गए या दिए गए सभी कार्यों को पूरा करना तथा शक्तियों का प्रयोग करना।

23. निदेशक:-

(1) संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति कुलपति के द्वारा परिषद् के अनुमोदन के साथ उन सेवा शर्तों पर किया जायगा जो निर्धारित किए गए हों ।

(2) निदेशक संस्थानों के शैक्षिक, प्रशासनिक एवं दूसरे कार्यों को करने में कुलपति की सहायता करेंगे तथा कुलपति द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों को पूरा करेंगे एवं शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

24. संकायाध्यक्षः-

(1) संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति के द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से की जायेगी ।

(2) संकायाध्यक्ष कुलपति एवं संस्थानों या केन्द्रों के निदेशकों को विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं अन्य मुद्दों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करेंगे तथा ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन एवं शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कुलपति या निदेशक के द्वारा प्रदत्त हों ।

अध्याय- IV
वित्त

25. राज्य सरकार के द्वारा भुगतानः

राज्य सरकार विश्वविद्यालय को समय-समय पर इस प्रकार राशि प्रदान करेगी जो अधिनियम के तहत् विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए कार्य एवं शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक हो ।

26. विश्वविद्यालय का कोषः

(1) विश्वविद्यालय एक कोष की स्थापना करेगा जिसे विश्वविद्यालय कोष कहा जाएगा जिसके घटक होंगे-

i. राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण, अनुदान या अंशदान,

ii. विश्वविद्यालय को सभी स्रोतों से प्राप्त आय जिसमें शुल्क या वसूली सम्मिलित हों,

iii. विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदान, ऋण, उपहार, दान, वसीयत, धर्मदान एवं सभी प्राप्तियाँ जो कुछ भी हों,

iv. औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा विश्वविद्यालय के बीच सहमति पत्र के अन्तर्गत उद्योग जगत की सहभागिता से विश्वविद्यालय को प्राप्त धन जो विश्वविद्यालय संरचनात्मक संसाधनों, प्रायोजित पीठों एवं फैलोशिप को स्थापित करने के लिए हो;

v. विश्वविद्यालय को किसी भी दूसरे स्रोत या तरीके से प्राप्त धन;

vi. विश्वविद्यालय की सभी राशि ऐसे बैंक में जमा होंगी या निवेशित की जाएँगी जैसा बोर्ड वित्त समिति की अनुसंशा पर निर्णय करेगा;

vii. विश्वविद्यालय का कोष विश्वविद्यालय के खर्च के लिए प्रयुक्त होगा जिसमें अधिनियम के अन्तर्गत इसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं कार्यों के निर्वहन पर किए गए खर्च सम्मिलित होंगे ।

27. लेखा एवं अंकेक्षणः-

(1) विश्वविद्यालय उपयुक्त लेखा एवं दूसरे उपयोगी दस्तावेजों का रख- रखाव करेगा तथा लेखा का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जिसमें आय-व्यय लेखा और तूलन पत्र सम्मिलित होगा एवं इसे विहित तरीके से किया जायगा ।

(2) विश्वविद्यालय कानून के द्वारा निर्दिष्ट अपने वित्तीय, लेखा तथा अंकेक्षण कार्यों को करने एवं इस पर नियंत्रण रखने एवं आंतरिक जाँच के लिए एक उपयुक्त तंत्र को अपनाएगा ।

(3) विश्वविद्यालय के खाते का अंकेक्षण प्रतिवर्ष एक अंकेक्षक के द्वारा किया जायेगा जो 1949 के अधिकार पत्र प्राप्त लेखापाल अधिनियम के द्वारा परिभाषित अधिकार पत्र प्राप्त होंगे, जिसकी नियुक्ति परिषद् के द्वारा की जायगी ।

(4) विश्वविद्यालय के खाते अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ इसी उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्ति या प्रतिष्ठान जो अधिकृत हो, से सत्यापन के बाद परिषद् के समक्ष पेश किया जायगा और परिषद् विश्वविद्यालय को ऐसा निर्देश जारी कर सकता है जो वह उचित समझता है तथा विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखा का अंकेक्षण एक आंतरिक अंकेक्षक के द्वारा किया जायगा जो एक अधिकार पत्र प्राप्त लेखापाल या अधिकार प्राप्त लेखापालों का प्रतिष्ठान होगा जो परिषद् के द्वारा नियुक्त होंगे एवं उनका दायित्व लेखा पुस्तिका का समयानुसार अंकेक्षण सुनिश्चित करना होगा तथा ऐसे सावधिक आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन बोर्ड के समक्ष समीक्षा के लिए रखा जाएगा ।

(6) विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष में परिषद् द्वारा इसे निर्दिष्ट सभी कार्यों का विवरण होगा और विश्वविद्यालय इसे परिषद् के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में समीक्षा या अनुमोदन के लिए दी गई तारीख को प्रस्तुत करेगा ।

(7) वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन परिषद् के संकल्प के साथ राज्य सरकार के पास प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसे राज्य विधान मण्डल के समक्ष यथाशीघ्र रखा जाएगा ।

28. पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधिः-

(1) विश्वविद्यालय परिषद् की स्वीकृति से अधिकारियों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए विहित शर्तों के अन्तर्गत पेंशन योजना, भविष्य निधि तथा बीमा की उचित व्यवस्था करेगा तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लाभ के उद्देश्य से संस्थाओं, कोषों तथा संघों की सहायता करेगा तथा उन्हें स्थापित करने में मदद भी करेगा ।

(2) जब ऐसी भविष्य निधि का गठन हो जाता है तो उस पर सरकारी भविष्यनिधि कोष के अनुरूप भविष्य निधि कानून 1925 के प्रावधान लागू होंगे ।

अध्याय 6

अनुपूरक प्रावधान

29. रिक्तियों के द्वारा अधिनियम और कार्यवाही का अमान्य नहीं होनाः-

शासी परिषद्, विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकार या कोई समिति जो विनियम के द्वारा या अधिनियम के अन्तर्गत गठित हो, का कार्य या कार्यवाही किसी रिक्ति की वजह से या विश्वविद्यालय की समिति, प्राधिकार या ऐसे बोर्ड के गठन में खामी रहने की स्थिति में भी अमान्य नहीं हो सकती ।

30. विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्रों का प्रदत्तीकरणः-

विश्वविद्यालय को शासी परिषद् की स्वीकृति पर डिग्री, डिप्लोमा देने तथा प्रमाण पत्रों को निर्गत करने तथा मानद उपाधि और दूसरी शैक्षिक उप्लब्धियों या खिताबों को प्रदान करने की शक्ति होगी ।

31. प्रतिवेदन एवं सूचनाः-

विश्वविद्यालय राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग. और अन्य वैधानिक प्रधिकारों को प्रतिवेदन, कथन या सूचना जैसा कि समय- समय पर जरूरी हो, को प्रदान करेगा ।

32. अधिकारियों और कर्मचारी लोक सेवक होंगेः-

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-21 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी एक लोक सेवक समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण - इस भाग के उद्देश्य के लिए कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय द्वारा कुछ खास समय या कार्य के लिए नियुक्त होगा या विश्वविद्यालय के कोष से मानदेय या भत्ता प्राप्त करेगा, को विश्वविद्यालय का कर्मचारी या अधिकारी समझा जाएगा जब तक वह अपनी नियुक्ति से संबंधित कार्य करेगा ।

33. विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्तियों की सेवा की समाप्ति, पदच्युतिकरण, अवनति या बरखास्तगीः-

(1) विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, अधिकारी या कर्मी को उसके पद से हटाया या बरखास्त या पदावनत नहीं किया जाएगा बशर्ते कि उनके खिलाफ लगे गुनाहों की सूचना उन्हें दी जाती है तथा जाँच के क्रम में अपनी बेगुनाही को साबित करने का उचित मौका दिया जाता है ।

(2) सेवा की समाप्ति, बरखास्तगी या उप धारा-(i) के तहत् पदावनति के आदेश के खिलाफ आदेश के निर्गत होने के 90 दिनों के भीतर कुलपति को अपील किया जा सकता है तथा कुलपति का निर्णय इस तरह की अपील में आखिरी होगा ।

34. राज्य सरकार की निर्देश देने संबंधी शक्तियाँ:-

राज्य सरकार को समय-समय पर दिशा निर्देश देने की शक्ति, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जैसी आवश्यकता हो, होगी तथा विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देशों का पालन करने की बाध्यता होगी ।

35. विनियम बनाने की शक्तिः-

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासी परिषद् को प्रदत शक्तियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कार्यों का प्रबंधन तथा प्रशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति होगी ।

(2) पूर्व प्रदत शक्तियों के प्रति दुराग्रह के बगैर, ऐसे विनियम निम्नलिखित विषयों से संबंधित होंगे-

i. विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक बुलाना, परिषद् की पहली बैठक तथा बैठक के क्रियाकलाप या गणसंख्या (कोरम) के मुद्दे को छोड़कर ।

ii. कुलपति के द्वारा किए गए कार्य या प्रयोग की शक्तियाँ ।

iii. अधिकारियों की शक्ति एवं कर्त्तव्य, विश्वविद्यालय की समिति एवं दूसरे निकाय का गठन, प्राधिकारों के सदस्यों की वैधता एवं अवैधता, सदस्य का कार्यकाल, सदस्यों को हटाना या नियुक्त करना, तथा इन मुद्दों से संबंधित बातें ।

iv. परिषद् या इस अधिनियम के तहत गठित किसी निकाय की शक्तियों तथा कर्त्तव्य के पालन से संबंधित कार्यप्रणाली ।

v. विद्यार्थियों का नामांकन तथा पाठ्यक्रम को तैयार करने में मापदण्ड एवं कार्यप्रणाली ।

vi. विश्वविद्यालय में अनुशासन लागू करने की प्रक्रिया ।

vii. विश्वविद्यालय की सम्पत्ति का प्रबंधन ।

viii. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत डिग्री, उपाधि, उपलब्धि तथा इनका रद्दीकरण या वापस लेना इत्यादि ।

ix. परीक्षा के संचालन के साथ परीक्षकों की नियुक्ति तथा कार्यकाल ।

x. निदेशकों, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या समतुल्य शैक्षिक पदों, अधिकारियों या कर्मचारियों का आवश्यक योग्यताओं के साथ पदों के सृजन की अनुशंसा तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति ।

xi. विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले शुल्क तथा खर्च जो इसे पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, सुविधाएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए हों ।

xii. तौर- तरीके तथा शर्तें, जो बीमा, पेंशन और भविष्य निधि राशि के गठन के लिए होती हैं तथा ऐसी दूसरी योजनाएँ जो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं शिक्षकों तथा अधिकारियों के हित के लिए हों ।

xiii. विश्वविद्यालय का अन्य संस्थाओं के साथ सम्पर्क के लिए नियम एवं शर्तें ।

xiv. बजट आकलन की तैयारी तथा लेखा का रख-रखाव ।

xv. विश्वविद्यालय की ओर से अथवा विश्वविद्यालय के द्वारा समझौते या अनुबंध के क्रियान्वयन के तौर-तरीके ।

xvi. विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और वर्गीकरण ।

xvii. विश्वविद्यालय के कर्मचारी एवं शिक्षक, अन्य अधिकारी, निदेशक अनुसंधान एवं विकास के नियुक्ति की अवधि और नियम तथा शर्तें, वेतन तथा भत्ते, अनुबंधिक सेवाएँ, अनुशासन के नियम ।

xviii. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, शिक्षकों एवं अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नियम एवं शर्तें ।

xix. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं शिक्षकों, निदेशकों तथा निदेशक अनुसंधान एवं विकास के कर्त्तव्य एवं शक्ति ।

xx. फेलोशिप, छात्रवृति, वजीफा (स्टाइपेंड), पदक तथा पुरस्कार से संबंधित नियम एवं शर्तें ।

xxi. शासी परिषद् के निर्णय तथा आदेशों का प्रमाणीकरण ।

xxii. छात्रावास से संबंधित मुद्दे और कर्मचारियों, शिक्षकों के आवास तथा अतिथि गृह अनुशासनात्मक नियंत्रण सहित ।

xxiii. वैसे सभी मुद्दे जो अधिनियम के तहत विहित हों ।

36. प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति:-

धारा 13 में निहित तथ्यों के बावजूद, प्रथम कुलसचिव राज्य सरकार के द्वारा अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद तीन साल के लिए उन शर्तों पर नियुक्त होगा जिसे सरकार उचित समझती है ।

37. अस्थायी प्रावधान:-

इस अधिनियम में निहित तथ्यों के बावजूद, कुलपति, परिषद् से स्वीकृति लेने के बाद तथा राशि की उपलब्धता की स्थिति में इस अधिनियम के प्रावधानों में दिए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय का काम करेगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुलपति किसी प्राधिकार के अस्तित्व में आने तक उस प्राधिकार की शक्तियों एवं कार्यों को करेगा ।

38. क्षतिपूर्तिः-

इस अधिनियम या इसके कानूनों के अन्तर्गत, इसकी शुद्ध निष्ठा के साथ, अनुपालन के क्रम में किए गए कार्य के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त परामर्शी, प्राधिकारों या अधिकारियों या कर्मचारियों या अन्य कोई व्यक्ति इन चीजों से संबंधित हो, से किसी प्रकार की न तो क्षतिपूर्ति की मांग की जायगी न ही मुकदमा, अभियोजन या दूसरी कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी ।

39. कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार की शक्तिः -

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के क्रम में यदि कुछ कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा ऐसा प्रावधान करेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से तारतम्य रखते हुए कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होंगे ।

(2) इस भाग के अन्तर्गत किए गए प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे ।

***

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2016

संख्या-एल०जी०-14/2016-162/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को अनुमत झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम-2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND RAKSHA SHAKTI UNIVERSITY ACT, 2016.
(Jharkhand Act No. 22, 2016)
PREAMBLE

WHERE As it is desirable that there is important role of Police and Administration in maintaining law and order and ensuring peace and harmony in the society.

AND, WHEREAS the need of the time is to provide (i) efficient, trained and professional manpower to meet the demand of police and other security forces, (ii) opportunity to the youths of the State to build their career in state police, central police, military, and other private security forces, (iii) training and building manpower to tackle the upcoming challenges from various types of offences such as terrorism, economic offences, cybercrime, telecommunication offences and the offences requiring expertise in forensic science.

AND, WHEREAS the State Government has accordingly decided to establish and incorporate a University to be known as the Jharkhand Raksha Shakti University in the State of Jharkhand .

It is hereby enacted in the Sixty-seventh year of the Republic of India, by the Legislature of Jharkhand as follows:

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement:

(1) This Act may be called "the Jharkhand Raksha Shakti University Act, 2016."

(2) It shall come into force at once.

2. Definitions:

In this Act, unless the context otherwise requires,-

(i) "Academic Council" means the Academic Council of the University constituted under section 19;

(ii) "Council" means the Governing Council of the University constituted under section 16;

(iii) "Dean" means the Deans of the University appointed under section 24;

(iv) "Director of Research and Development" means the Director of Research and Development of the University appointed under section 12;

(v) "Director" means the Directors of the Institutes of the University appointed under section 23;

(vi) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University constituted under section 21;

(vii) "Financial Adviser" means the Financial Adviser of the University appointed under section 11;

(viii) "prescribed" means prescribed by the regulations;

(ix) "Pro Vice Chancellor" means the Pro Vice Chancellor of the University appointed under section 10;

(x) "Registrar" means the Registrar of the University appointed under section 13;

(xi) "Statutes" means the Statutes of the University made under section 35;

(xii) "University" means the Jharkhand Raksha Shakti University established and incorporated under section 3.

(xiii) "Vice Chancellor" means the Vice Chancellor of the University appointed under section 9;

CHAPTER-II
UNIVERSITY

3. Establishment and incorporation of the University:

(1) There shall be established a University by the name of the " Jharkhand Raksha Shakti University".

(2) The Vice Chancellor, the Pro Vice Chancellor, the Financial Adviser, Governing Council, the Academic Council, the Directors, the Director of Research and Development, the Dean, the Registrar and such officers or members so long as they continue to hold such office or membership, hereby constitute a body-corporate by the name of the " Jharkhand Raksha Shakti University".

(3) The University shall be a body corporate by the name as aforesaid, having perpetual succession and common seal with power, subject to the provisions of the Act, to acquire and hold property, to contract and shall, by the said name sue or be sued.

4. Headquarters of University:

The headquarters of the University shall be at such place as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

5. Objectives of the University:

The objects of the University shall be as follows, namely:-

(i) to develop an institution in Security Science and Management for bringing about excellence in all functions of security forces;

(ii) to facilitate research in all matters of internal security;

(iii) to extend the benefit of knowledge and skills with regard to law enforcement agencies thereby contributing to the development of individuals and society;

(iv) to provide facilities to teachers and students for learning process so that individual attention is provided to the students with the objective of promoting scholarship and excellence;

(v) to develop and conduct teaching methodology for security forces thereby encouraging innovation in training;

(vi) to encourage and develop ideas and values enshrined in the Constitution of India to bring about improvement in the working of police and other security forces;

(vii) to develop respect for the rule of law and faith in equitable administration;

(viii) to promote career oriented courses through continuing education and practice;

(ix) to carry out research work and organize programmes for better interaction of security forces with people;

(x) to prepare youths of the State for becoming effective and efficient security personnel and to conduct courses and award degrees, diplomas and certificates for the said purpose;

(xi) such other objects, not inconsistent with the provisions of this Act which the State Government may, on application by the University, by notification in the *Official Gazette*, specify in this behalf.

6. University open to all irrespective of sex, religion, class, creed or opinion:

1) No person shall be excluded from any office of the University or from membership of any of its authorities, bodies or committees, or from admission to any degree, diploma or other academic distinction or course of study on the sole ground of sex, race, creed, caste, class, place of birth, religious belief or political or other opinion

(2) It shall not be lawful for the University to impose on any person any test whatsoever relating to sex, race, creed, caste, class, place of birth, religious belief or profession of political or other opinion in order to entitle him to be admitted as a teacher or a student or to hold any office or post in the University or to qualify for any degree, diploma or other academic distinction or to enjoy or exercise any privilege of the University or any benefaction, thereof.

7. Powers and functions of University:

Subject to the provisions of this Act, the University shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

(1) to administer and manage the University and to establish such institutes and centres for research, education and instruction as are necessary for the furtherance of the objects of the University;

(2) to provide for instruction, training and research in such branches of knowledge or learning pertaining to police service and police science and military science;

(3) to prescribe courses and curricula on providing flexibility in the education systems and delivery methodologies including electronic and distance learning;

(4) to conduct examinations and confer degrees, diplomas or grant certificates and other academic distinctions or titles on persons subject to such conditions as the University may determine, and to withdraw or cancel any such degrees, diplomas, certificates, or other academic distinctions or titles in the manner as may be prescribed;

(5) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner as may be prescribed;

(6) to establish such special centres, specialized study centres or other units for research and development as are, in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;

(7) to provide for printing, reproduction and publication of research and other work and to organize exhibitions, workshops, seminars, conferences, etc;

(8) to sponsor and undertake research in all aspects of functions, behavioural science, technology and allied areas in relation to investigation, detection and prevention of crimes and to rehabilitate the victims of crimes for making police objectively result oriented;

(9) to collaborate or associate with any educational institution with like or similar objects;

(10) to develop and maintain linkages with educational or other institutions in any part of the world having objects wholly or partially similar to those of the University, through exchange of teachers, students and scholars and generally in such manner as may be conducive to their common objects;

(11) to develop and maintain relationships with teachers, researchers and experts in the domains of investigation and detection of crimes and furthering the cause of criminal justice system for achieving the objects of the University;

(12) to regulate the expenditure, and to manage the finance and to maintain accounts of the University;

(13) to receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purpose of the University and consistent with the objects for which the University is established and to enter into any agreement with the Central Government, the State Government, the University Grants Commission or other authorities or bodies for receiving any grants;

(14) to receive funds from the industries or from any other sources as gifts, donations, benefactions or bequests and by transfers of movable and immovable properties for the purposes and objects of the University;

(15) to establish, maintain and manage halls and hostels for the residence of students and accommodation for faculties, officers and employees of the University and the guest houses;

(16) to supervise and control the residence and regulate the discipline of students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare and cultural activities;

(17) to institute and award fellowships, scholarships, prizes, medals and other awards;

(18) to fix, demand and receive or recover fees and such other charges as may be prescribed;

(19) to purchase or to take on lease any land or building or works which may be necessary or convenient for the purpose of the University on such terms and conditions as it may think fit and proper and to construct, alter and maintain any such buildings or works;

(20) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may think fit, consistent with the interest, activities and objects of the University after taking prior permission of the State Government;

(21) to draw and accept, to make and endorse, to discount and negotiate Government promissory notes and other promissory notes, Acts of exchange, cheques or other negotiable instruments;

(22) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities founded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions as it may think fit and to pay out of the funds of the University, all expenses incidental to the raising of money, to repay and redeem any money borrowed after taking prior permission of the State Government;

(23) to invest the funds of the University in or upon such securities and transpose any investment from time to time in such manner as it may deem fit in the interest of University;

(24) to execute conveyances regarding transfer, mortgage, lease, license, agreement and other conveyance in respect of the property, movable or immovable including Government securities belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University after taking prior permission of the State Government;

(25) to admit the students for the courses offered by the University in the prescribed manner;

(26) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(27) to regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take for such disciplinary measures as may be prescribed;

(28) to prescribe qualifications for professorships, associate professorships, assistant professorships, endowed professorship, honorary professorships, adjunct professorships, emeritus professors and any other teaching, academic or research posts and to request the state government for their establishment;

(29) to appoint persons as Directors, Director of Research and Development, Deans, Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Adjunct Professors, Registrar, or otherwise as teachers and researchers of the University;

(30) subject to the provisions of this Act and the regulations, any officer or authority of the University may, by order, delegate his or its powers (except the power to make regulations) to any other officer or authority under his or its control and subject to the condition that the ultimate responsibility for the exercise of the power so delegated shall continue to rest in the officer or authority delegating them**;**

(31) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargement of all or any of the objects of the University.

8. The Chancellor:

(1) The Governor of Jharkhand shall be the Chancellor and shall, by virtue of his office, be the head of the University and the Chairman of the Governing Council and shall, when present, preside over the meetings of the Governing Council, and at any convocation of the University.

(2) The Chancellor shall have the power to cause an inspection or review to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, hostels, libraries, equipments and systems and processes and of any institution or centre maintained by the University, and also of the examinations, teaching, research and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration, academic affairs and finance of the University.

Provided that the Chancellor shall, in every case, inform the Vice Chancellor of his intention to inspect or inquire or to get the inspection or inquiry conducted and the University shall be entitled to representation therein.

(3) The Chancellor may send the results of such inspection or inquiry to the Vice Chancellor and the Vice Chancellor shall communicate the views to the Governing Council and the Academic Council.

(4) The Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding or order of the University which is not in conformity with this Act, the Statutes, the Act or the Regulation or for which adequate reason is lacking.

Provided that before making such order or direction he shall call upon the University to show cause within the time specified why such order or direction should not be made, and if any cause is shown within the said time limit, he shall consider the same.

(5) Every proposal of conferment of an honorary degree shall be subject to confirmation of the Chancellor.

(6) (i) The Chancellor shall have the power to issue direction to the University in the administrative or academic interest of the University which he considers to be necessary. The direction issued by the Chancellor shall be implemented by the Vice Chancellor, Governing Council, and other bodies of the University.

(ii) Any person aggrieved by such order of the Chancellor may file representation to the Chancellor, who on consideration of the said representation, shall have the power to affirm, modify or rescind his earlier order and pass such other order or orders which he may deem fit and proper.

9. The Vice Chancellor:

(1) (i) Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment are to be appointed as Vice-Chancellor. The Vice-Chancellor to be appointed should have served in any State/Central Police Department/ Organization or Military/Para Military Forces or have been in the State or Central administration connected with the training of State or Central Police Force or Military or Para Military Forces with proven record in research and/ or academic administrative organization.

(ii) The selection of Vice-Chancellor should be through proper identification of a Panel of 3-5 names by a Search Committee through a public notification or nomination or a talent search process or in combination. The members of the above Search Committee shall be persons of eminence in the sphere of police/military establishment and shall not be connected in any manner with the University. While preparing the panel, the search committee must give proper weightage to academic excellence, exposure to the training system in the county and abroad, and adequate experience in administrative governance to be given in writing along with the panel of three to five names to be submitted to the Chancellor.

(iii) Following shall be the constitution of the Search Committee:

(a) A member nominated by the State Government, who shall be an eminent person and has achieved excellence in the field of education or administration and shall be the Chairman.

(b) The Director or Head of an institute or organization of national repute, such as, National Defence College, Indian Military Academy, Police Training Colleges, or Vice-Chancellor of a Law University nominated by the State Government as Member.

(c) A member nominated by the Chancellor who shall have knowledge about higher education of the State and have achieved excellence in the field of training/teaching;

(2) The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government.

(3) The tenure of the Vice Chancellor shall be of three years. Provided that he may be considered for reappointment for one more tenure after the completion of one tenure. The person appointed as Vice Chancellor shall retire during his tenure or extended tenure after attaining age of seventy years.

(4) (a) The Vice Chancellor shall be a whole time officer and hold office during the pleasure of the Chancellor. Provided that he may be removed on the recommendation of the State Government.

(b) Subject to the foregoing provisions of this section, the Vice Chancellor shall ordinarily hold office for a term of three years and on the expiry of the said term he may be reappointed by the Chancellor in consultation with the State Government.

(5) The Vice Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, the Vice Chairman of the Governing Council, Chairman of the Academic Council, and Finance Committee and shall be entitled to be present and speak at any meeting of any authority or other body of the University and shall in the absence of the Chancellor preside over meetings of the Governing Council and of any convocation of the University.

(6) The Vice Chancellor shall be responsible for imparting of instructions and maintenance of discipline in the University.

(7) The Vice Chancellor shall ensure implementation of the decisions of the authorities of the University.

(8) The Vice Chancellor shall subject to the provisions of this Act, and the regulations have the power to make appointments to regular of Class-III employees on the basis of Staff Selection Commission and other Class-IV employee in various post as per sanctioned grades and scales of pay and within the sanctioned strength recommendation of the University and have full disciplinary control over such staff.

(9) In the academic cadre persons fulfilling the qualifications laid down by the University Grants Commission shall be appointed as Professor, Associate Professor, and Assistant Professor on the recommendation of the Jharkhand Public Service Commission. But the Vice Chancellor may appoint a person on deputation or contract for a period of eleven months for one time.

(10) The other terms and conditions of the Vice Chancellor shall be such as may be determined by the State Government.

(11) The Vice Chancellor may resign from his office by writing under his hand addressed to the Chancellor and such a resignation shall take effect from the date of acceptance of resignation by the Chancellor.

(12) Where any matter is of urgent nature requiring immediate action and the same cannot be immediately dealt with by the authority or body of the University empowered under this Act to deal with it, the Vice Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action so taken by him to the authority or body of the University who or which, in the ordinary course, would have dealt with the matter:

Provided that if such authority or other body is of the opinion that such action ought not to have been taken by the Vice Chancellor, it may refer the matter to the Governing Council which may either confirm the action taken by the Vice Chancellor or annul the same or modify it in such manner as it thinks fit, and thereupon the action shall cease to have effects or, as the case may be, shall take effect in such modified form. However such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice Chancellor.

(13) The Vice Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by or under this Act or the regulations or as may be delegated to him by the Board or by the State Government**.**

10. The Pro Vice Chancellor:

(1) The Chancellor shall appoint the Pro Vice Chancellor in consultation with the State Government in the same manner as prescribed for appointment of Vice Chancellor.

(2) Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment who are serving in the Government as senior Police officers in not below the rank of Inspector General of Police are to be appointed as Pro Vice Chancellor.

(3) The Pro Vice Chancellor of the University shall be a whole –time officer of the University. He shall hold office, on such conditions as may be determined, by the Chancellor, in consultation with the State Government, for a period not exceeding three years during the pleasure of the Chancellor.

(4) The Pro Vice Chancellor shall:

(i) be principal coordinating officer of the University and exercise such powers and perform such duties as may be entrusted by general or special order of the Vice Chancellor;

(ii) in absence of the Vice Chancellor , or in the event of his being unable to perform the duties of his office, discharge all the functions and duties of the Vice Chancellor;

(iii) preside over ,in absence of the Vice Chancellor, the meetings of the Governing Council, Academic Council, Finance Committee and such other authorities.

11. Financial Adviser:

(1) The Financial Adviser shall be a whole time officer. He shall be appointed by the Chancellor either on deputation or by re-employment from amongst the officers of the Indian Audit and Accounts Service or from any Accounts Service of Government of India or Government of Jharkhand.

(2) The terms and conditions of service of the Financial Adviser shall be determined by the Chancellor in consultation with the State Government and he shall ordinarily hold the post for three years.

(3) The Financial Adviser will work under the administrative control of the Vice Chancellor.

(4) In all proposals having financial implication the advice of Financial Adviser shall be mandatory.

(5) Preparation of the University Budget, maintenance of accounts, audit of accounts from time to time, compliance of audit objections, timely receipt of grants from the State Government in accordance with the approved budget and also grants from other

sources, arrangements for keeping the same properly and timely submission of utilization certificate of the grants received shall be the responsibility of the Financial Adviser.

(6) It shall also be the duty of the Financial Adviser to see that all financial matters of the University are dealt with in accordance with the Act and regulations.

12. Director of Research and Development:

(1) The Director of Research and Development shall be appointed by the Vice Chancellor with the approval of the Governing Council.

(2) He shall be a renowned researcher having out-standing published research work in reputed National or International Journals.

(3) The qualifications and other terms and conditions of service of the Director of Research and Development shall be such as may be prescribed by the regulations.

(4) He shall assist the Vice Chancellor in managing the research and development related academic, administrative and other affairs of the institute.

(5) He shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed or entrusted to him by the Vice Chancellor.

13. Registrar:

(1) The Registrar shall be appointed by the University in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed. The Registrar shall have the qualification laid down by the University Grants Commission.

(2) The Registrar shall exercise the following powers and perform the following duties, namely:-

(i) he shall be responsible for the custody of records, common seal, the funds of the University and such other property of the University;

(ii) he shall place before the Governing Council and other authorities of the University, all such information and documents as may be necessary for transaction of its business;

(iii) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to, and served on, the Registrar.

(iv) he shall be responsible to the Vice Chancellor for the proper discharge of his functions;

CHAPTER- III
AUTHORITIES AND OFFICERS OF UNIVERSITY

14. Authorities of the University:

The following shall be the authorities of the University, namely :-

(i) the Governing Council;

(ii) the Academic Council;
(iii) the Finance Committee; and
(iv) such other authorities as may be declared by regulations to be the authorities of the University.

15. Officers of the University:

The following shall be the officers of the University, namely:-
(i) The Chancellor
(ii) The Vice Chancellor
(iii) The Pro Vice Chancellor
(iv) The Financial Adviser
(iv) The Director of Research and Development
(vi) The Directors
(vii) The Deans
(viii) The Registrar, and
(ix) such other persons in the service of the University as may be declared by Act, to be the officers of the University.

16. Governing Council:

(1) The Governing Council of the University shall consist of the following members, namely;

(i) the Chancellor, who shall be the Chairman of the Council;

(ii) the Vice Chancellor, who shall be the Vice Chairman of the Council;

(iii) the Pro Vice Chancellor;

(iv) the Financial Advisor;

(v) the Director of Research and Development;

(vi) one Director of the University, by rotation, to be nominated by the Vice Chancellor;

(vii) The G-O-C, 23^{rd} Division *ex-officio;*

(viii*)* one Police Officer, not below the rank of the Additional Director General of Police, to be nominated by the State Government, *ex-officio;*

(ix) the Secretary to Government, Department of Higher & Technical Education, or a person not below the rank of Director nominated by him;
(x) the Principal Secretary of the Home Department, or a person nominated by him not below the rank of Deputy Secretary ;

(xi) one of the Vice-Chancellors of any of the Universities located in Jharkhand, to be nominated by the State Government;

(xii) five members from amongst persons who are associated with and have excelled in the field of Defence or Education or Public Service , to be nominated by the State Government;

(xiii) The State Government shall nominate four Members of the Legislative Assembly.

(xiv) The Registrar shall be the Secretary of the Council.

17. Powers and function of Council:

(1) Subject to the provisions of this Act, the Council shall be responsible for the general superintendence, direction and the control of affairs of the University and shall exercise all the powers of the University, and shall have the power to review the acts of the Academic Council and the Finance Committee and other committees or authorities of the University.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Council shall have the following powers and functions, namely:-

(i) to take decisions on question of policy relating to the administration and working of the University;

(ii) to prescribe courses of studies at the University;

(iii) to make regulations;

(iv) to consider and approve the annual report and the annual budget of the University for every financial year;

(v) to invest money and funds of the University and to take decisions on the recommendations of the Finance Committee;

(vi) to publish or finance the publication of studies, treaties, books, periodicals, reports and other literature from time to time and to sell or arrange for the sale as it may deem fit;

(vii) to create or abolish posts of teachers and officers and employees of the University;

(viii) to appoint such committees as it considers necessary for the exercise of its powers and the performance of its duties under this Act;

(ix) to appoint the Directors of the University;

(x) to delegate any of its power to the Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor, Directors, Deans, Registrar or any other officer, employee or any authority of the University or to a committee appointed by it; and

(xi) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed upon it by or under this Act or the regulations, and such other powers for achieving the objects of the University.

18. Terms of office and vacancies among members of the Council:

(1) Save as otherwise provided in this section, the term of a nominated member of the Council shall be three years from the date of his nomination.

(2) An *ex-officio* member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is the member of the Council.

(3) Any vacancy in the Council, of a member other than *ex-officio* member occurring before the expiry of the prescribed period shall be filled in the same manner as provided under section 16 and such a member shall hold office for the remaining period of the term of the member in whose place he is nominated.

(4) A member shall be eligible for re-nomination for the next term.

(5) A member may resign from his office by writing under his hand addressed to the Chairman and his resignation shall take effect from the date it is accepted by the Chairman.

19. Academic Council:

(1) The Academic Council of the University shall consist of the following members, namely:-

(i) the Vice Chancellor, who shall be the Chairman of the Academic Council;

(ii) the Pro Vice Chancellor;

(iii) two academicians or professionals, to be nominated by the State Government;

(iv) two academicians or professionals connected with the service or training of police, military or paramilitary forces, to be nominated by the State Government;

(v) the Director of Research and Development;

(vi) the Directors;

(vii) one Professor from each discipline of the University, by rotation, to be nominated by the Vice Chancellor.

(2) The Registrar shall be the Secretary of the Academic Council.

(3) The term of office of the members nominated under clauses (iii), (iv) and (vii) of sub-section (1) shall be three years.

20. Powers and functions of the Academic Council:

Subject to the provisions of this Act and the regulations, the Academic Council of the University shall exercise the following powers and perform following functions, namely:-

(i) to exercise control over the academic policies of the University and be responsible for the maintenance and improvement of standards of instruction, education and evaluation in the University;

(ii) to consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference from the faculty of the University or the Council and to take appropriate action thereon;

(iii) to recommend to the Council, such regulations as are consistent with this Act regarding the academic functioning of the University including discipline of students; and

(iv) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the regulations.

21. Finance Committee:

(1) The Finance Committee shall consist of the following members, namely:-

(i) the Vice Chancellor, who shall be the Chairman of the Committee;

(ii) the Pro Vice Chancellor;

(iii) the Financial Adviser;

(iv) the Director of Research and Development;

(v) two members of the Council (one of them shall be a Government nominee on the Council) to be nominated by the Council;

(vi) the Directors;

(vii) one Professor, by rotation, to be nominated by the Council.

(2) The Registrar shall be the Secretary of the Committee.

(3) The term of office of the members nominated under clauses (v) and (vi) shall be three years.

22. Powers and functions of the Finance Committee:

Subject to the other provisions of this Act, the Finance Committee shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

(i) to examine the annual accounts and annual budget estimates of the University and to advise the Council thereon;

(ii) to review from time to time the financial position of the University;

(iii) to make recommendations to the Council on all financial policy matters of the University;

(iv) to make recommendations to the Council on all proposals involving raising of funds, receipts and expenditure;

(v) to provide guidelines for investment of surplus funds;

(vi) to make recommendations to the Council on all proposals involving expenditure for which no provision has been made in the budget or for which expenditure in excess of the amount provided in the budget needs to be incurred;

(vii) to examine all proposals relating to the revision of pay-scales, up gradation of the scales and those items which are not included in the budget prior to placing before the Council; and

(viii) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed upon it by the regulations.

23. Directors:

(1) The Directors of the institutes shall be appointed by the Vice Chancellor with the approval of the Council in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The Directors shall assist the Vice Chancellor in managing the academic, administrative and other affairs of the institutes and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed or entrusted to them by the Vice Chancellor.

24. Deans:

(1) The Deans shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the faculties of the University.

(2) The Deans shall assist the Vice Chancellor and respective Directors of the institutes or centres in managing the academic and other affairs of the University and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed or entrusted to them by the Vice Chancellor and the Director.

CHAPTER- IV
FINANCE

25. Payment by State Government to the University:

The State Government shall give to the University from time to time such sums of money and in such manner as may be considered necessary for the exercise of powers and discharge its functions by the University under this Act.

26. Fund of University:

(1) The University shall establish a fund to be called the "University Fund" consisting of:

(i) any contribution or grants or loans by the State Government and the Central Government;

(ii) the income of the University from all sources including income from fees and charges;

(iii) the money received by the University by way of grants, loans, gifts, donations, benefactions, bequests or transfer endowments and other grants, if any;

(iv) the money received by the University from the collaborating industries in terms of the provisions of the Memorandum of Understanding entered between the University and the Industry, for establishment of sponsored chairs, fellowships or infrastructure facilities of the University; and

(v) the money received by the University in any other manner or from any other source.

(2) All funds of the University shall be deposited in such banks or invested in such manner as the Council may decide on the recommendation of the Finance Committee.

(3) The funds of the University shall be applied towards the expenses of the University including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions by or under this Act.

27. Accounts and audit:

(1) The University shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an Annual Statement of Accounts, including the income and expenditure account and the balance sheet, in such form and in such manner as may be prescribed.

(2) The University shall adopt a proper system of internal checks and balances and control in the discharge of its financial, accounting and auditing functions as may be prescribed by the Regulations;.

(3) The accounts of the University shall be audited every year by an Auditor, who shall be a Chartered Accountant as defined in the Chartered Accountant Act, 1949 or a firm of Chartered Accountants, to be appointed by the Council.

(4) The accounts of the University certified by the person or firm so appointed or any other person authorized in this behalf together with the audit report thereon shall be placed before the Council and the Council may issue such instructions to the University in respect thereof as it deems fit and the University shall comply with such instructions.

(5) The accounts of the University shall be audited by an internal auditor who shall be a Chartered Accountant or a firm of Chartered Accountants appointed by the Council to ensure concurrent audit of all books of accounts and such periodic internal audit reports shall be placed before the Council for review.

(6) The University shall prepare for each year an annual report of its activities of the previous year containing such particulars as the Board may specify and submit the same in the form of annual report to the Board on or before such date as may be prescribed, for review and approval.

(7) The copy of the annual report and annual audit report along with the resolution of the Council thereon shall be submitted to the State Government and it shall be laid, as soon as may be after it is received, before the State Legislature.

28. Pension, Insurance and Provident Fund:

(1) The University shall, with the approval of the Council, constitute for the benefit of its officers, teachers and other employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, such schemes of pension, provident fund and insurance as it may deem fit and also aid in establishment and support of the associations, institutions, funds, trusts and conveyance calculated to the benefit of the officers, teachers, employees of the University.

(2) Where any such provident fund has been constituted, the provisions of the Provident Funds Act, 1925 shall apply to such fund as if it were a Government Provident Fund.

CHAPTER-VI
SUPPLEMENTARY PROVISIONS

29. Act and proceedings not be invalidated by vacancies:

No act or proceeding of the Council or any authority of the University or any committee constituted under this Act or by regulations shall be invalided on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of such Council, authority or committee of the University.

30. Conferment of degrees, diplomas and grant of certificates by University:

Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, the University shall have powers to confer degrees, diplomas and grant certificates and confer honorary degrees and other academic distinctions and titles as approved by the Council.

31. Returns and information:

The University shall furnish to the State Government, University Grants Commission and other statutory authorities, such reports, returns, statements and other information as may be required by them from time to time.

32. Officers and employees to be public servants:

Every officer, teacher and employee of the University shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

***Explanation*:-** For the purpose of this section, any person, who is appointed by the University for a specified period or a specified work of the University or who received any remuneration by way of allowances or fees for any work done from the University fund, shall be deemed to be an officer or employee of the University while he is performing the duties and functions connected with such appointment or work.

33. Dismissal, removal, reduction or termination of services of staff of University:

(1) No officers or employees or members of the teaching, non-teaching and other academic staff of the University shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed about the charges levelled against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

(2) An appeal against an order of dismissal, removal or reduction in rank under sub-section (1) or of termination of service shall be made to the Vice Chancellor within ninety days from the date of communication of such order and the decision of the Vice Chancellor in such appeal shall be final.

34. Powers of State Government to give directions:

The State Government shall have powers to issue directions from time to time as may be required for compliance of the provisions of this Act, the regulation made thereunder and any other law for the time being in force and the University shall be bound to comply with such direction.

35. Powers to make Statutes:

(1) Subject to the provisions of this Act, the Council shall have in addition to all other powers vested in it, the power to make Statutes to provide for the administration and management of the affairs of the University.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-

(i) the summoning and holding of meetings of the authorities of the University, other than the first meeting of the Council and the quorum and conduct of business at such meeting;

(ii) the powers and functions to be exercised and discharged by the Vice Chancellor;

(iii) the constitution, powers and duties of the authorities, bodies and other committees of the University, the qualifications and disqualifications for membership of such authorities, terms of office of the membership, appointment and removal of member thereof and other matters connected therewith;

(iv) the procedure to be followed by the Council and any committee or other body constituted by or under this Act or by the regulation in the conduct of the business, exercise of the powers and discharge of the functions;

(v) the procedure and criteria to be followed in establishing courses of study and admission of students;

(vi) the procedure to be followed for enforcing discipline in the University;

(vii) the management of the properties of the University;

(viii) the degrees, diplomas, certificates, and other academic distinctions and titles which may be conferred or granted by the University and withdrawal or cancellation of any such degree, diplomas, certificates and other academic distinctions and titles and the requirements thereof;

(ix) the conduct of examinations including the term of office and appointment of examiners;

(x) the creation of posts of Directors, Professors, Associate Professors, Assistant Professors, or equivalent academic designations or posts, officers and employees of the University, and the appointment of persons to such posts including the requisite qualifications thereof;

(xi) the fees and other charges to be paid to the University for the courses, training, facilities and services provided by it;

(xii) the manner and conditions for constitution of insurance, pension and provident funds and such other schemes for the benefits of officers, teachers and employees of the University;

(xiii) the terms and conditions for association of the University with other institutions;

(xiv) the preparation of budget estimates and maintenance of accounts;

(xv) the mode of execution of contracts or agreements by or on behalf of the University;

(xvi) the classification and procedure for appointment of officers, employees and other staff of the University;

(xvii) the terms and conditions and tenure of appointment, salaries and allowances, contractual services, rules of discipline and other conditions of service of the Director of Research and Development, Directors, other officers, teachers and employees of the University;

(xviii) the terms and conditions governing deputation of teachers, officers and employees of the University;

(xix) the powers and duties of the Director of Research and Development, Directors and other officers, teachers and employees of the University;

(xx) the terms and conditions governing fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(xxi) the authentication of the orders and the decisions of the Council;

(xxii) the matters relating to hostels and halls of residence and housing for faculties, officers and employees and guest house including disciplinary control therein; and

(xxiii) all other matters which by this Act are to be or may be prescribed.

36. Appointment of First Registrar:

Notwithstanding anything contained in section 13, the first Registrar shall be appointed by the State Government as soon as practicable after the commencement of the Act for a period not exceeding three years and on such conditions as the State Government thinks fit.

37. Transitory provisions:

Notwithstanding anything contained in this Act, the Vice Chancellor may, with the prior approval of the Council and subject to availability of the funds, discharge all or any of the functions of the University for the purpose of carrying out the provisions of this Act and the regulations and for that purpose, may exercise any power or perform any duty which by or under this Act and regulations are to be exercised or performed by any authority of the University until such authority comes into existence in accordance with the provisions of this Act and the Regulations.

38. Indemnity:

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against and no damage shall be claimed from the University, the Vice Chancellor, the Pro Vice Chancellor, the Financial Adviser, the authorities or officers or employees of the University or any other person in respect of anything which is done in good faith or purporting to be done in pursuance of this Act or any regulations made there under.

39. Power of State Government to remove difficulties:

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the *Official Gazette*, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing difficulties:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

***

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 815--50 ।